फर्द अहकाम

भोगीलाल वनाम सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या 196/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/7/24	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब की गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन कर बहस प्रथम वकील प्रार्थी सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 136 स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर एवं दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 196 / 2024
निर्णय दिनांक :10.07.2024

1 मांगीलाल पुत्र गुल्लाराम जाति बागडा ब्राह्मण
2 गोपाल लाल पुत्र गुल्लाराम जाति बागडा ब्राह्मण
3 हनुमान सहाय पुत्र गुल्लाराम जाति बागडा ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 06 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 134 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार हल्का लाखना भू अभि. नि क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जो उक्त प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित की गई है। उक्त वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार इन्द्राज निम्न प्रकार से है :–

1. "मांगीलाल पुत्र गुलजी हिस्सा–1 / 4 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार",
2. "गोपाल पुत्र गुलजी हिस्सा–1 / 4 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार"
3. "हनुमान पुत्र गुलजी हिस्सा–1 / 4 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार",

इस प्रकार हाल जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थी संख्या दो का नाम गोपाल लाल के स्थान पर गोपाल दर्ज कर दिया गया है तथा प्रार्थी संख्या तीन का नाम हनुमान सहाय के स्थान पर हनुमान दर्ज कर दिया है तथा प्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन के पिता का नाम गुल्लाराम के स्थान पर गुलजी दर्ज कर दिया गया है, जिसको की दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी संख्या दो का सही एवं शुद्ध नाम गोपाल लाल है तथा प्रार्थी संख्या तीन का सही एवं शुद्ध नाम हनुमान सहाय है तथा प्रार्थीगण के पिता सही एवं शुद्ध नाम गुल्लाराम है, इसी ग्राम में प्रार्थीगण की अन्य भूमि खसरा नम्बर 327, 328 वगैरह की जमाबन्दी में प्रार्थीगण एवं उनके पिता का सही एवं शुद्ध नाम दर्ज है, प्रार्थीगण के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थीगण का सही नाम गोपाल लाल, हनुमान सहाय व प्रार्थीगण के पिता का नाम गुल्लाराम ही अंकित है। प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में भी अपने व अपने पिता के नाम बाबत् हुई अशुद्धि का दुरूस्त करवा कर अपना सही एंव सत्य नाम गोपाल लाल, हनुमान सहाय अंकित करवाना चाहते है, तथा अपने पिता का सही एवं शुद्ध नाम गुल्लाराम अंकित करवाना चाहते है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी बाबत् हुए प्रार्थीगण के पिता के नाम के गलत इन्द्राज को दुरुस्त कर प्रार्थी संख्या दो का सही नाम गोपाल लाल व प्रार्थी संख्या तीन का सही नाम हनुमान सहाय एवं प्रार्थीगण के पिता का सही नाम गुल्लाराम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित अपने व अपने पिता नाम के उक्त गलत इन्द्राजात् को दुरूस्त कर अपना व अपने पिता का सही एंव सत्य नाम का अंकन किये जाने बाबत अप्रार्थी से कई बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

निवेदन कर चुका है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त प्रार्थीगण का व उनके पिता का सही नाम अंकित किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की है और अप्रार्थी ने प्रार्थीगण से दिनांक 02.07.2024 को कहा कि उक्त गलत इन्द्राजात की दुरूस्ती एवं सही नाम का अंकन श्रीमान् एस डी ओ साहब के आदेश से ही की जा सकती है. ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी मे प्रार्थीगण व उनके पिता का सही एंव सत्य नाम अंकित किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 01300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.1600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 297 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 01400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 323 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 06 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार हल्का लाखना भू अभि नि क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत हुए गलत इन्द्राजात "गोपाल" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी संख्या दो का सही, सत्य एवं शुद्ध नाम "गोपाल लाल" का एवं "हनुमान" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी संख्या तीन का सही, सत्य एवं शुद्ध नाम "हनुमान सहाय" का एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम "गुलजी" के स्थान पर सही एवं शुद्ध नाम "गुल्लाराम" का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 01300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.1600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 297 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 01400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 323 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 06 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार हल्का लाखना भू अभि नि क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत हुए गलत इन्द्राजात "गोपाल" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी संख्या दो का सही, सत्य एवं शुद्ध नाम "गोपाल लाल" का एवं "हनुमान" के स्थान पर दुरूस्त कर प्रार्थी संख्या तीन का सही, सत्य एवं शुद्ध नाम "हनुमान सहाय" का एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम "गुलजी" के स्थान पर सही एवं शुद्ध नाम "गुल्लाराम" का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस प्रार्थीगण एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार हल्का लाखना भू अभि नि क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 01300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.1600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 297 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 01400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 323 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 06 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 2 के गलत इन्द्राजात "गोपाल" के स्थान पर दुरूस्त कर शुद्ध नाम "गोपाल लाल" का एवं प्रार्थी संख्या 3 "हनुमान" के स्थान पर दुरूस्त कर शुद्ध नाम "हनुमान सहाय" का एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम "गुलजी" के स्थान पर सही एवं शुद्ध नाम "गुल्लाराम" का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को सरे [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर